जिला –पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

न्यायालय–न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चाईबासा।

उपस्थित– पूजा पान्डेय,
न्यायिक दण्डाधिकारी,
प्रथम श्रेणी, चाईबासा।
JO Code- JH02055

चाईबासा, दिनांक 16 मई, 2026

जी0आर0वाद सं0– 94 / 2025
मंझारी थाना काण्ड सं0 04 / 2025
विचारण सं0 –472 / 2026
JHCB030004632025

अनुलग्नक–I

सूचक	राज्य द्वारा **उज्जवल कुमार,** पिता–उपेन्द्र राय, निवासी ग्राम– आदित्यपुर, गोकुल निवास, थाना–आदित्यपुर, जिला– सरायकेला खरसॉवा, झारखण्ड।
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्रीमती मोनिका त्रिपाठी, विद्वान सहायक लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	**(A-1) योगेन्द्र पान्डेय,** उम्र लगभग 52 वर्ष, पिता–राघव राव पान्डेय, निवासी–रायपुर, फुलवारी, थाना– अमेठी, जिला–अमेठी, उत्तरप्रदेश।
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री केशव प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता।

अनुलग्नक–II

घटना की तिथि	22–01–2025
प्राथमिकी की तिथि	22–01–2025
आरोप पत्र की तिथि	22–03–2025
संज्ञान की तिथि	24–03–2025
आरोप गठन	15–04–2025
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	15–05–2025
अभियुक्त का बयान धारा 313 द0प्र0सं0, 1973 / 351 भा0ना0सु0सं0, 2023	20–04–2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	07–05–2026

न्याय निर्णय की तिथि	16—05—2026
सजा के आदेश की तिथि यदि हो तो।	—

अभियुक्त की विवरणी

अभियुक्त का कम सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	अपराध आरोप के साथ	सजायाफ्ता या दोषमुक्त	दी गई सजा	धारा 428 द0प्र0सं0 के उदेष्य हेतु अभिरक्षा में व्यतीत अवधि विचारण के दौरान
A-1.	**योगेन्द्र पान्डेय**	23—01—25	27—03—2025	धारा 303(2)/3(5), 317(2)/3(5), 338/3(5), 336(3)/3(5), 340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023	**दोषमुक्त**	—	**02 माह 04 दिन**

अनुलग्नक—III

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

A. अभियोजन

संख्या	**साक्षियों का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
1	गिरिराज विरूली	स्वतंत्र साक्षी
2	तुराम विरूली	स्वतंत्र साक्षी
3	सुभाष विरूली	स्वतंत्र साक्षी
4	कृष्णा विरूली	गिरफतारी ज्ञापन एवं जप्ती सूची का साक्षी
5	उज्जवल कुमार	सूचक
6	शंकर प्रसाद यादव	अनुसंधानकर्ता

B. बचाव साक्षी, यदि हो तो

संख्या	साक्षियों का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
शून्य		

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

संख्या	साक्षियों का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
शून्य		

अभियोजन/बचाव /न्यायालय प्रदर्श की सूची

A. अभियोजन

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	पी–01 / पी0डब्लु0–04	गिरफतारी ज्ञापन पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर
2	पी–02 / पी0डब्लु0–04	जब्ती सूची पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर
3	पी–03 / पी0डब्लु0–05	लिखित आवेदन
4	पी–02 / 01 / पी0डब्लु0–05	प्रस्तुती सह जप्ती सूची पर प्रस्तुतकर्ता के रूप में हस्ताक्षर।
5	पी–03 / 01 / पी0डब्लु0–06	लिखित आवेदन का अग्रसारण एवं पजीकरण
6	पी–04 / पी0डब्लु0–06	औपचारिक प्राथमिकी
7	पी–02 / 02 / पी0डब्लु0–06	प्रस्तुती सह जप्ती सूची
8	पी–01 / 01 / पी0डब्लु0–06	गिरफतारी ज्ञापन

B. बचाव साक्षी, यदि हो तो

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

D. भौतिक वस्तु

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

निर्णय

अन्तर्गत धारा 303(2) / 3(5), 317(2) / 3(5), 338 / 3(5), 336(3) / 3(5) एवं 340(2) / 3(5) भा0न्या0सं0, 2023

1. अभियुक्त **(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** का विचारण प्रस्तुत वाद में उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त वाद यह है कि इस वाद के सूचक उज्जवल कुमार, पिता उपेन्द्र राय, निवासी आदित्यपुर, थाना आदित्यपुर, जिला सरायकेला खरसॉवा के द्वारा ओ0पी0 प्रभारी, तांतनगर ओ0पी0 को एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वह श्रीराम ई0पी0सी0 लि0 चेन्नई

तमिलनाडु की कम्पनी में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 22–01–2025 को सुबह करीब 02:00 बजे उन्हें फोन के माध्यम से ग्रामीण सुभाष विरूली, पिता स्व0 गारदी विरूली, 2. गृहराज विरूली एवं 3. कृष्णा विरूली, दोनो के पिता स्व0 रैमुच विरूली, तीनो ग्राम तांतनगर, थाना तांतनगर ओ0पी0 द्वारा उन्हें सूचना दिया गया कि श्रीराम ई0पी0सी0 कंपनी का पानी सप्लाई करने वाला पाईप जो फार्मेसी कॉलेज, बाटीगुटु के पास रखा हुआ है को कुछ लोगो के द्वारा वाहन में लोड किया जा रहा है। सूचना मिलते ही बाटीगुटु गया जहॉ वाहन के चालक को ग्रामीणो के सहयोग से वाहन के साथ पकड़ लिया गया और पाईप लोड कर रहे 10–12 लोग अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गये। पकड़े गये वाहन चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम योगेन्द्र पान्डेय, पिता राघव राम पान्डेय, पता रायपुर, फुलवारी, अमेठी, उत्तरप्रदेश बताया । चालक के मो0 नं0 9170537051 पर मो0 नं0 8981398059 और मो0 नं0 9831911320 द्वारा पाईप लोड करने के लिए फोन किया गया था। पानी पाईप के सम्बन्ध में इन्वाईस पेपर प्रस्तुत किया जो मोरियस इन्फ्रास्टक्चर प्रा0लि0 का अंकित है जिसमे जगधामा इस्पात प्रा0लि0 चाईबासा से जगधामा इस्पात प्रा0लि0, रॉची डी0आई0 पाईप करने हेतु अंकित है । वे लोग उक्त वाहन तथा चालक को तांतनगर ओ0पी0 को जिसमें वाहन सं0 यु0पी0 36ए.टी. 6555 में 250 एम0एम0 का 39 डी0आई0 पाईप लदा हुआ को सुपूर्द किया गया।

3. सूचक के द्वारा दिये गये उपर्युक्त लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी मंझारी (तांतनगर ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 04/2025 दिनांक 22/01/2025 अन्तर्गत धारा 303(2)/317(2)/338/336(3)/340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023 विरूद्ध (A-1) योगेन्द्र पान्डेय दर्ज किया गया एवं अनुसंधान किया गया।

4. अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त **(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 13/2025, दिनांक 22/03/2025, अन्तर्गत धारा 303(2)/317(2)/338/336 (3)/340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023 न्यायालय में समर्पित किया गया । तदनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24/03/2025 को अभियुक्त (A-1) योगेन्द्र पान्डेय के विरूद्ध धारा 303(2)/317(2)/338/336 (3)/340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023 के अंतर्गत मामले में **संज्ञान** लिया गया।

5. पुलिस कागजात की आपूर्ति के तत्पश्चात दिनांक 15–04–2025 को अभियुक्त **(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** के विरूद्ध **धारा 303(2)/3(5), 317(2)/3(5), 338/3(5), 336(3)/3(5) एवं 340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023** के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे सुनकर अभियुक्त ने लगाये गये आरोंपो से इंकार किया एवं वाद विचारण की प्रार्थना किया ।

निर्धारण के बिन्दु

6. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

7. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन की ओर से कुल 06 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अंकित कराया गया है। तत्पश्चात अभियोजन के अनुरोध पर दिनांक 07/04/2026 को अभियोजन साक्ष्य बन्द कर दिया गया एवं दिनांक 20/04/2026 को अभियुक्त **(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** का बयान द0प्र0सं0 की धारा 313/351 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया,

जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लाये गये साक्ष्यों से इनकार किया एवं अपने को निर्दोष बताया।

8. दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से एक भी साक्ष्य नहीं कराया गया एवं न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

9. अभियुक्त की ओर से उपस्थित उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे विचारण का सामना करने वाले अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सके। उनका तर्क है कि विचारण का सामना करने वाला अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं अतः उन्हें प्रस्तुत वाद में रिहा किया जाए। दूसरी ओर विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपने बहस के दौरान बताया कि सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है अतः अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए।

मंतव्य

10. अभियोजन की ओर से इस वाद मे अभियोजन साक्षी सं0–01 के रूप में गिरिराज विरूली को प्रस्तुत किया गया है । इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कण्डिका–01 में कहा है कि यह घटना 22 जनवरी 2025 की है। उस समय वह गांव में था। उसे, उसके भाई कृष्णा बिरूली ने फोन करके घटना के विषय में बताया कि फारमेसी कॉलेज के बगल में बाटीगुटू सड़क के पास से लोहे के पानी सप्लाई पाईप को ट्रक पर लोड किया जा रहा था। यह सुनकर जब वह घटनास्थल पर गया तो देखा कि वहां पर ग्रामीणो की भीड़ लगी हुई थी। ग्रामीणो से पूछने पर पता चला कि 10–12 लोग आये थे, और वे लोग पानी सप्लाई पाईप को ट्रक पर लोड कर रहे थे। जब ग्रामीणो को अपनी तरफ आता हुआ देखे तो सभी लोग ट्रक और पाईप को छोड़कर भाग गये। ग्रामीणो के द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ाये हुए व्यक्ति से उनका नाम पूछने पर उसने अपना नाम योगेन्द्र पाण्डेय बताया।

पकड़ाये हुए ट्रक में लगभग 39 पीस पाईप था। साक्षी अभियुक्त को देखकर पहचानने का दावा करते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह किसी को भी चोरी करते हुए नहीं देखा था। वह न्यायालय में जो भी गवाही दिये हैं वह सुनी–सुनाई बातो के आधार पर दिये हैं। पुलिस उससे पूछताछ नहीं किया था।

11. अभियोजन साक्षी सं0–02 तुराम विरूली है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कण्डिका–01 में कहा है कि यह घटना 22 जनवरी 2025 की है। उस समय वह अपने घर में था। उसे ग्रामीण मुण्डा सुभाष बिरूली ने फोन करके घटना के विषय में बताया कि बाटीगुटू सड़क के पास तालाब के किनारे से लोहे के पानी सप्लाई पाईप को ट्रक पर लोड किया जा रहा है। यह सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुॅचा तो देखा कि वहॉ पर ग्रामीणो की भीड़ लगी हुई थी। ग्रामीणो से पूछने पर पता चला कि 10–12 लोग आये थे, और वे लोग पानी सप्लाई पाईप को ट्रक पर लोड कर रहे थे। अभियुक्तगण जब ग्रामीणो को अपनी तरफ आता हुआ देखे तो सभी लोग ट्रक और पाईप को छोड़कर भागने लगे। ग्रामीणो के सहयोग से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ाये हुए व्यक्ति से उनका नाम पूछने पर उसने अपना नाम योगेन्द्र पाण्डेय बताया। पकड़ाये हुए ट्रक में लगभग 40 पीस पाईप था। साक्षी अभियुक्त को देखकर पहचानने का दावा करते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण मे कहा है कि उसने किसी को भी चोरी करते हुए नहीं देखा है। उसने न्यायालय मे जो भी गवाही दिया है, सुनी सुनाई बातो के आधार पर दिया है। पुलिस उससे कभी पूछताछ नही किया था।

12. अभियोजन साक्षी सं0–03 सुभाष विरूली है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कण्डिका–01 में कहा है कि यह घटना जनवरी, 2025 की है। उस समय

वह गांव में था। उसे घटना के विषय में उसके ही गॉव के कृष्णा बिरूली ने फोन करके घटना के विषय में बताया कि बाटीगुटू सड़क के पास लोहे के पानी सप्लाई पाईप को ट्रक पर लोड किया जा रहा था। यह सुनकर जब वह घटनास्थल पर गया तो देखा कि वहां पर ग्रामीणो की भीड़ लगी हुई थी। ग्रामीणो से पूछने पर पता चला कि 10–12 लोग आये थे, और वे लोग पानी सप्लाई पाईप को ट्रक पर लोड कर रहे थे। गॉव के लोगो को जब वे अपनी तरफ आता हुआ देखे तो सभी लोग ट्रक और पाईप को छोड़कर भागने लगे। ग्रामीणो के सहयोग से दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ाये हुए व्यक्ति से उनका नाम पूछने पर उसने अपना नाम योगेन्द्र पाण्डेय बताया। पकड़ाये हुए ट्रक में लगभग 40 पीस पाईप था। साक्षी अभियुक्त को देखकर पहचानने का दावा करते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह किसी को भी चोरी करते हुए नहीं देखा था। वह न्यायालय में जो भी गवाही दिये हैं वह सुनी–सुनाई बातो के आधार पर दिये हैं। वह किसी भी अभियुक्त को नहीं पकड़ा था। 10–12 लोग कौन थे वह नही जानता है। वह अभियुक्त का नाम इसलिए जानता है क्योंकि पुलिस के द्वारा उसे बताया गया था।

13. अभियोजन साक्षी सं0–04 कृष्णा विरूली हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कण्डिका–01 में कहा है कि यह घटना 22 जनवरी, 2025 की है। उस समय वह अपने घर में था। उसे घटना के विषय में गांव वालो के द्वारा पता चला कि बाटीगुटू सड़क के पास ट्रक में लोहे के पानी सप्लाई पाईप को लोड किया जा रहा है। यह सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर ग्रामीणो की भीड़ लगी हुई थी। गांव वालो से पूछने पर पता चला कि 10–12 लोग आये थे, और वे लोग पानी सप्लाई पाईप को ट्रक पर लोड कर रहे थे। गांव के लोगो को जब वे

अपनी तफर आता हुआ देखे तो सभी लोग ट्रक और पाईप को छोड़कर भागने लगे। ग्रामीणो के सहयोग से दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ाये हुए व्यक्ति से उनका नाम पूछने पर उसने अपना नाम योगेन्द्र पाण्डेय बताया। पकड़ाये हुए ट्रक में लगभग 39 पीस पाईप था। कण्डिका–02 में कहा है कि अभिलेख के साथ संलग्न गिरफ्तारी ज्ञापन पर उसका गवाह के रूप में हस्ताक्षर है जिसे वह पहचानता है, पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे **प्रदर्श पी0–01/पी0डब्लु0–04** अंकित कराया गया है। कण्डिका–03 में कहा है कि अभिलेख के साथ संलग्न प्रस्तुति सह जप्ती सूची पर उसका गवाह के रूप में हस्ताक्षर है जिसे वह पहचानता है, पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे **प्रदर्श पी0–02/पी0डब्लु0–04** अंकित कराया गया है। साक्षी अभियुक्त को देखकर पहचानने का दावा करते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कहा है कि **प्रदर्श पी0–01/पी0डब्लु0–04** और **प्रदर्श पी0–02/पी0डब्लु0–04** को वह थाना में बड़ा बाबू के कहने पर हस्ताक्षर किया था। वह दोनो कागजातों को पढ़कर नही देखा था। उसने किसी भी अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो 10–12 व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे। अभियुक्त योगेन्द्र पाण्डेय का नाम उसे कौन बताया था उसका नाम उसे याद नहीं है। पुलिस उससे कभी भी पूछताछ नहीं किया था। आज वह न्यायालय में जो भी गवाही दिया है, सुनी सुनाई बातो के आधार पर दिया है ।

14. अभियोजन साक्षी सं0–05 सूचक उज्ज्वल कुमार हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कण्डिका–01 में कहा है कि यह घटना 22/01/2025 की है उस समय वह अपने घर पर था। फोन से उसे भोर में 2 बजें ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला कि तांतनगर में बाटीगुटू टोला में 10–12 लोगो के द्वारा पानी सप्लाई पाईप को चोरी करने के इरादे से उठाया जा रहा है। फिर उसके द्वारा ग्रामीणो से कहा गया कि जो लोग पाईप

उठा रहे है वो मेरे आदमी नहीं है उन्हे रोकने का प्रयास कीजिए। उसके कहने पर ग्रामीण जैसे ही घटनास्थल पर पहुॅचे, पाईप उठा रहे लोग ग्रामीणो को देखकर अंधेरा का फायदा उठाकर वहां से भाग गये। परन्तु ट्रक में सो रहे चालक योगेन्द्र पाण्डेय को ग्रामीणो के द्वारा पकड़ लिया गया और उसे इस बात की सूचना दी गयी। सूचना पाकर वह सुबह 6 बजें थाने पहुॅचा तथा थाने में ही उसने 12 चक्के गाड़ी में 250 एमएमटी की 39 पीस पाईप लोहा का लोड किया हुआ देखा। फिर उसने इस घटना के संबंध में तांतनगर ओपी थाने में एक लिखित आवेदन दिया। यह वही लिखित आवेदन है जो उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे वह पहचानता है, पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे **प्रदर्श पी0—03/पी0डब्लु0—05** अंकित कराया गया है। कण्डिका—02 में कहा है कि अभिलेख के साथ संलग्न प्रस्तुति सह जप्ती सूची पर प्रस्तुतकर्ता के रूप में उसका हस्ताक्षर है जिसे वह पहचानता है, पहचान पर **प्रदर्श पी0—02/01/पी0डब्लु0—05** अंकित कराया गया है। साक्षी अभियुक्त को पहचानने का दावा करते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह घटना घटते हुए नहीं देखा है और न ही वह घटनास्थल पर मौजूद था। उसे घटना के बारे में सूचना देने वाले का नाम सुभाष बिरूली और कृष्णा बिरूली है। घटनास्थल पर कौन—कौन लोग पकड़ाये थे और कौन—कौन लोग भाग गये थे वह नहीं बता सकता है। लिखित आवेदन उसने थाना में बैठकर ही लिखकर दिया था। प्रस्तुति सह जप्ती सूची पर उसने थाना मे हस्ताक्षर किया था। पुलिस उससे इस केस के बारे मे पूछताछ किया था। पुलिस उससे एक दिन ही पूछताछ किया था जब वह थाना में अपना लिखित आवेदन दिया था। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस उससे दुबारा पूछताछ नहीं किया था। अभियुक्त को वह चोरी करते हुए नहीं देखा था। अभियुक्त थाना में था और पुलिस एवं ग्रामीण के द्वारा बताया गया था, इसलिए वह पहचानने का दावा करता है, पहले से वह अभियुक्त को नहीं जानता है। प्राथमिकी दर्ज करते समय उसने डीआई पाईप के संबंध में कोई कागजात नहीं

लगाया था। वह कम्पनी का उपप्रबंधक के पद पर पदस्थापित थे इसका कोई कागजात उसने अपने प्राथमिकी के साथ नहीं लगाया था।

15. अभियोजन साक्षी सं0–06 स0अ0नि0 शंकर प्रसाद यादव हैं, अनुसंधानकर्ता हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कण्डिका–01 मे कहा है कि दिनांक 22/01/2025 को वह मंझारी तांतनगर ओ0पी0 थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थपित था। उक्त तिथि को वादी उज्जवल कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर मंझारी थाना प्रभारी मंदीप उरॉव के द्वारा पंजीकृत कर मंझारी थाना काण्ड सं0 04/25 दिनांक 22/01/25 धारा 303(2), 317(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 मे योगेन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध दर्ज कर इस काण्ड का अनुसंधान भार उसे सौंपा । कण्डिका–02 में कहा है कि वादी के लिखित आवेदन पर अग्रसारण पु0अ0नि0 मेघनाथ मंडल, एवं पंजीकरण पु0अ0नि0 मंदीप उरॉव के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है पहचानता हूॅ। पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे **प्रदर्श पी0–03/01/पी0डब्लु0–06** अंकित कराया गया है। कण्डिका–03 में कहा है कि टंकित औपचारिक प्राथमिकी थाने के कम्पयूटर ऑपरेटर द्वारा पु0अ0नि0 मंदीप उरॉव के निर्देशन में टंकित किया गया है, जो कुल 04 पृष्ठो मे है जिसपर पु0अ0नि0 मंदीप उरॉव का हस्ताक्षर है। पहचानता हूॅ। पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे **प्रदर्श पी0–04/पी0डब्लु0–06** अंकित कराया गया है। कण्डिका–04 मे कहा है कि इस काण्ड में वादी के द्वारा श्रीराम ई0पी0सी0 लि0 के द्वारा छः चक्का टाटा कम्पनी का ट्रक निबंधन सं0 यु0पी0–36 ए0टी0– 6555 के चालक और ट्रक पर लदे 39 पीस लोहे के पाईप को विधिवत प्रस्तुती सह जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया । उक्त प्रस्तुती सह जप्ती सूची पु0अ0नि0 मेघनाथ मंडल के लिखावट मे है तथा उसके हस्ताक्षर में है तथा उसपर अभियुक्त योगेन्द्र पाण्डेय का भी हस्ताक्षर है, उसे पहचानते हैं, पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे **प्रदर्श पी0–02/02/पी0डब्लु0–06**

अंकित कराया गया है। कण्डिका–05 में कहा है कि तत्पश्चात उसके द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र पाण्डेय को विधिवत गिरफतारी ज्ञापन बनाते हुए गिरफतार किया गया। गिरफतारी ज्ञापन उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर मे है पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे **प्रदर्श पी0–01/01/पी0डब्लु0–06** अंकित कराया गया है। कण्डिका–06 में कहा है कि तत्पश्चात उनके द्वारा वादी का पुनः बयान लिया गया जिसमें उन्होने घटना का पूर्ण समर्थन किया। तत्पश्चात साक्षी सुभाष विरूली, कृष्णा विरूली का बयान लिया जिसमें उन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया। कण्डिका–07 मे कहा है कि इस काण्ड का घटनास्थल तांतनगर ओ0पी0 से तीन किलोमीटर पूरब दिशा में बाटीगुटु फार्मेसी कॉलेज से करीब 300 मीटर की दूरी पर तांतनगर रायरंगपुर पक्की सड़क पर स्थित है। इसी स्थान पर पक्की सड़क के किनारे राकेश विरूली के परती जमीन में लोहे का पाईप 39 पीस चोरी होने की बात बतायी गयी। **घटनास्थल की चौहदी**– पूरब में सिलाई चरण विरूली की परती जमीन है, पश्चिम मे लोहे पाईप के बाद रामचन्द्र गोप का परती जमीन है, उत्तर में राकेश विरूली का परती जमीन है एवं दक्षिण में तांतनगर से रायरंगपुर जाने वाली पक्की सड़क के बाद सुभाष विरूली की परती जमीन है। कण्डिका–09 में कहा है कि तत्पश्चात साक्षी तुराम विरूली एवं गिरिराज विरूली का बयान लिया। जिसमें उन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया। तत्पश्चात ट्रक सं0 यु0पी0 36 ए0टी0–6555 के चालक योगेन्द्र पाण्डेय का अपराध स्वीकारोक्ति बयान लिया। जिसमें उन्होंने इस काण्ड में अपनी संल्लिप्तता स्वीकार की। तत्पश्चात इस काण्ड में संल्लिप्त अभियुक्तो का मोबाईल नम्बर 9170537051, 8981398059, 9831911320 का नाम पता सी0डी0आर0 एवं कैफ उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रतिवेदन भेजा। कण्डिका–10 में कहा है कि तत्पश्चात उक्त ट्रक के स्वामी मनीष कुमार मिश्रा ने अपने नाम पता का सत्यापन का कागजात की छाया प्रति उपलब्ध करायी जो अभिलेख के साथ संलग्न है। कण्डिका–11 में कहा

है कि तत्पश्चात इस काण्ड में मोबाईल नम्बर 9170537051, 8981398059, 9831911320 का सी0डी0आर0 एवं कैफ लोकेशन प्राप्त हुआ। जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मोबाईल नं0 9170537051 के धारक योगेन्द्र पाण्डेय, मो0नं0 9831911320 के धारक मो0 शमशाद, एवं मो0 नं0 8981398059 के धारक राजा साह हैं। कण्डिका–12 में कहा है कि सी0डी0आर0 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मो0 नं0 9170537051 के धारक योगेन्द्र पाण्डेय दिनांक 21/01/25 को समय 21:51 बजे ग्राम कोकचो में है तथा दिनांक 22/01/25 को समय 2:23 बजे तक वहीं पर थे एवं 22/01/25 को समय 00:35 बजे से 01:27 बजे तक ग्राम तांतनगर के टावर लोकेशन में थे। दिनांक 21/01/25 को समय 12:47 बजे से 12:53 बजे मो0न0 9831911320 पर बात हुई। तत्पश्चात मो0 शमशाद के यहॉ राज्य से बाहर जाकर अनुसंधान करने हेतु प्रतिवेदन पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोल्हान क्षेत्र को भेजा। कण्डिका–13 में कहा है कि तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इस काण्ड में प्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध धारा 303(2), 317(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0 13/25 दिनांक 22/03/25 माननीय न्यायालय में समर्पित किया एवं अन्य के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा। साक्षी अभियुक्त योगेन्द्र पाण्डेय को देखकर पहचानने का दावा करते हैं। अभियुक्त प्रतिनिधित्व के आवेदन पर है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के कण्डिका–15 में कहा है कि अनुसंधान का भार ग्रहण करने के पश्चात् उन्होने थाना मे दिये गये लिखित आवेदन का अवलोकन किया। कण्डिका–16 में कहा है कि अनुसंधान के क्रम में उन्होने अपने काण्ड दैनिकी में 10–12 लोगो के भागने के संबंध मे कोई अनुसंधान नहीं किया और न ही इस संबंध में काण्ड दैनिकी मे उल्लेख किया। कण्डिका–17 में कहा है कि अनुसंधान के क्रम में उन्होने जप्ती सूची का भी अवलोकन किया था।

जिसे तांतनगर ओपी. प्रभारी मेघनाथ मण्डल के द्वारा बनाया गया था जिसमें उल्लेखित किया गया कि Morias Infrastructure Pvt. Ltd. Ranchi Sitre Invoice के संबंध में उन्होने कोई भी अनुसंधान किया और न ही काण्ड दैनिकी में उल्लेखित किया। अनुसंधान के कम में उन्होने Morias Infrastructure Pvt. Ltd. Ranchi Sitre Invoice का कागजात भी अपने काण्ड दैनिकी के साथ नहीं लगाया। कण्डिका–19 में कहा है कि अनुसंधान के कम में वह जगधामा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड चाईबासा अनुसंधान करने नहीं गया था। कण्डिका–20 में कहा है कि अनुसंधान के कम में सूचक से डीआई पाईप के संबंध में कोई भी मूल कागजात की मांग नहीं किया और न ही सूचक के द्वारा मूल कागजात अनुसंधान के कम में उन्हें सौंपा गया। **कण्डिका–21 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके अनुसंधान के कम में सभी गवाहों ने यह कहा है कि चालक कुछ नहीं कर रहा था मजदूर लोग पाईप लोड कर रहे थे।** कण्डिका–22 में कहा है कि अनुसंधान के कम में मोबाईल संख्या 9831911320 से चालक से जो बात हुई थी उसके धारक मो0 शमशाद एवं मो0 नं0 8981398059 के धारक राजा साह के यहॉ वह गिरफतारी हेतु नहीं गया था। कण्डिका–24 में कहा है कि मोबाईल संख्या का सीडीआर उन्होने अपने काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न नहीं किया। कण्डिका–25 में कहा है कि अनुसंधान के कम में घटना स्थल के चौहदी के आस–पास के लोगो में से सुभाष बिरूली का बयान लिया तथा अन्य का उन्होने अनुसंधान के कम में बयान नहीं लिया। कण्डिका–27 में कहा है कि यह बात सही है कि औपचारिक प्राथमिकी में गाड़ी मालिक एवं मोबाईल धारक का मोबाईल संख्या या अन्य लोगो का नाम अंकित नहीं किया है।

16. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** का विचारण **धारा 303(2)/3(5), 317(2)/3(5), 338/3(5), 336(3)/3(5) एवं 340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023** के अन्तर्गत किया गया है।

<u>धारा 303(2)/3(5), भा0न्या0सं0, 2023</u> – एक समान आशय से किसी के कब्जे से चल सम्पति को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से हटाना चोरी को दर्शाता है।

<u>धारा 317(2)/3(5),भा0न्या0सं0, 2023</u> – एक समान आशय से चोरी की सम्पति को बेईमानी से प्राप्त करना या अपने पास रखने के अपराध से सम्बन्धित है। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि कोई वस्तु चोरी की है, उसे रखता है या छिपाने में सहायता करता है ।

<u>धारा 338/3(5), भा0न्या0सं0, 2023</u> – एक समान आशय से यदि कोई व्यक्ति किसी मूल्यवान सुरक्षा (जैसे चेक, प्रॉमिसरी नोट), वसीयतनामा, गोद लेने का अधिकार पत्र या आर्थिक लाभ के लिए धोखाघड़ी से जाली दस्तावेज तैयार करता है तो यह धारा उसपर लागू होता है ।

<u>धारा 336(3)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023</u> –एक समान आशय से धोखाघड़ी के उदेश्य से की गई जालसाजी से सम्बन्धित है । यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने के इरादे से जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड बनाता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी है।

<u>धारा 340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023</u> – एक समान आशय से जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड को जानबूझकर असली के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी जाली दस्तावेज का उपयोग करता है, तो उसे जालसाजी के समान ही सजा मिलती है।

अभिलेख का अवलोकन किया एवं अभियोजन साक्षियों के द्वारा अपने अपने साक्ष्य के दौरान दिये गये साक्ष्यो का गहनतापूर्वक अध्ययन किया । अभियोजन साक्षी सं0–01, 02 एवं 03 ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन वाद का समर्थन तो किया है परन्तु बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे लोग किसी को भी चोरी करते हुए नही देखा था। वे न्यायालय मे जो भी गवाही दिये हैं सुनी सुनाई बातो के आधार पर दिये हैं अर्थात वे अनुश्रुत साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी सं0–04 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है एवं गिरफतारी ज्ञापन एवं जप्ती सूची पर अपने द्वारा किये गये हस्ताक्षर की पहचान किया है। परन्तु बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण मे स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उक्त दोनो कागजातो को पढ़कर नहीं देखा था, थाना में बड़ा बाबू के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था। वह भी किसी भी अभियुक्त को चोरी करते हुए नही देखे थे। वह न्यायालय मे जो भी गवाही दिये हैं सुनी सुनाई बातो के आधार पर दिये हैं अर्थात ये भी अनुश्रुत साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी सं0–05 इस वाद के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी अर्थात सूचक हैं। इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन वाद का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है एवं कहा है कि लिखित आवेदन उनके द्वारा ही लिखकर दिया गया था जिसे पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे प्रदर्श पी0–03/पी0डब्लु0–05 अंकित कराया गया है तथा प्रस्तुती सह जप्ती सूची पर प्रस्तुतकर्ता के रूप में उसका हस्ताक्षर है जिसे भी पहचान पर अभियोजन की ओर से उसे प्रदर्श पी0–02/01/पी0डब्लु0–05 अंकित कराया गया है। परन्तु इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण मे स्पष्ट रूप से कहा है कि वह घटना घटते हुए नहीं देखा था और न ही वह घटनास्थल पर मौजूद था। उसे घटना के बारे में सूचना देने वाले सुभाष विरूली और कृष्णा विरूली है। घटनास्थल पर से कौन कौन लोग भाग गये थे और कौन पकड़ाया था वह नही बता सकते हैं। लिखित

आवेदन उन्होंने थाना में बैठकर ही लिख दिया था । प्रस्तुती सह जप्ती सूची पर थाना में हस्ताक्षर किया था। अभियुक्त को वह चोरी करते हुए नही देखा था। सूचक के द्वारा उल्लेखित सुभाष विरूली और कृष्णा विरूली जिन्हें अभियोजन की ओर से कमशः अभियोजन साक्षी सं0 03 एवं 04 के रूप में प्रस्तुत किया गया है ने अपने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे लोग किसी को भी चोरी करते हुए नही देखे थे। वे न्यायालय मे जो भी गवाही दिये हैं सुनी सुनाई बातो के आधार पर दिये हैं अर्थात वे भी अनुश्रुत साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी सं0—06 प्रस्तुत वाद के अनुसंधानकर्ता हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के द्वारा किये गये कार्यो का वर्णन किया है एवं विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त योगेन्द्र पान्डेय के विरूद्ध अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार आरोप पत्र समर्पित करने की बात कहा है। परन्तु इस साक्षी ने भी बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के कण्डिका—21 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके अनुसंधान के कम में सभी गवाहो ने यह कहा है कि चालक कुछ नही कर रहा था मजदूर लोग पाईप लोड कर रहे थे। कण्डिका—25 में उनके द्वारा कहा गया है कि अनुसंधान के कम में घटनास्थल के चौहदी के आसपास के लोगो मे से सुभाष विरूली का बयान लिया तथा अन्य का बयान नही लिया । परन्तु सुभाष विरूली जिन्हें अभियोजन की ओर से साक्षी सं0—03 के रूप में परीक्षित किया गया है ने अपने प्रतिपरीक्षण मे स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने किसी को भी चोरी करते हुए नहीं देखा है। वह जो भी गवाही दिये हैं सुनी सुनाई बातो के आधार पर गवाही दिये हैं। वह अभियुक्त का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसे पुलिस के द्वारा बताया गया था।

17. अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अवलोकन उपरान्त न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन साक्षी सं0—01, 02 एवं 03 ने सुनी सुनाई बातो के आधार पर गवाही दी है और उन्होने किसी को

चोरी करते हुए नही देखा है। अभियोजन साक्षी सं0–04 यह कहते हैं कि उन्होंने थाना में आकर बड़ा बाबू के कहने पर हस्ताक्षर बनाया और वह किसी भी अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा था। अभियोजन साक्षी सं0–05 भी घटनास्थल पर बाद मे पहुॅचे थे और उन्होने बताया कि उन्हें पता चला था कि ट्रक मे सोया चालक घटनास्थल से पकड़ा गया था। पुनः उसने यह भी बताया कि उन्होने अभियुक्त को चोरी करते हुए नही देखा था और प्राथमिकी दर्ज करते समय उन्होंने डी0आई0 पाईप के सम्बन्ध मे कोई कागज नहीं लगाया था। अभियोजन साक्षी सं0–06 भी अभियुक्त को ट्रक के चालक के रूप में पकड़े जाने की बात को बताते हैं। इन सभी साक्ष्यो से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियुक्त उस ट्रक के चालक मात्र थे जिसमें डी0आई0 पाईप को चोरी कर लादा जा रहा था। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त को स्वंय चोरी करते हुए नही देखा था और अभियुक्त उस ट्रक के स्वामी भी नही थे। अभियुक्त के पास से जप्त टैक्स इन्वाईस को भी न्यायालय में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त के द्वारा धोखाघड़ी से जाली दस्तावेज बनाया गया हो।

इस तरह अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यो से यह सिद्ध नही होता है कि विचारण का सामना करने वाले अभियुक्त **(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** के पास से जो सम्पति बरामद हुई थी वह चोरी की थी और अभियुक्त उसे चोरी की सम्पति जानते हुए अपने पास रखे थे या जाली दस्तावेज बनाकर परिवहन कर ले जा रहे थे।

18. अतः वाद के तथ्यों, परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सूचक सहित अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर सम्यक विचारोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में बिल्कुल ही असमर्थ रहा है कि

उपरोक्त बरामद सम्पति चोरी की थी और अभियुक्त चोरी का जानते हुए अपने पास रखे थे या परिवहन कर ले जा रहे थे या विचारण का सामना करने वाले अभियुक्त **(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** के द्वारा ही तथाकथित घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरह अभियोजन पक्ष विचारण का सामना करने वाले अभियुक्त के विरूद्ध लाये गये आरोंपो को युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करनें में पूरी तरह से असफल रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त**(A-1) योगेन्द्र पान्डेय** को प्रस्तुत वाद में साक्ष्य के अभाव में धारा **303(2)/3(5), 317(2)/3(5), 338/3(5), 336(3)/3(5) एवं 340(2)/3(5) भा0न्या0सं0, 2023** के आरोंपो से संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके प्रतिभूओं को बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।)

(लेखापित एवं संसोधित)

ह0/–

(**पूजा पान्डेय**)
न्यायिक दण्डाधिकारी,
प्रथम श्रेणी, चाईबासा।
दिनांक 16–05–2026
JO Code- JH02055

ह0/–

(**पूजा पान्डेय**)
न्यायिक दण्डाधिकारी,
प्रथम श्रेणी, चाईबासा।
दिनांक 16–05–2026
JO Code- JH02055